संलग्नक–'ब'
प्रधानाध्यापक हेतु प्रति

विद्याज्ञान स्कूल शैक्षिक वर्ष 2025–26 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु दिनांक 01 दिसम्बर, 2024 को आयोजित प्रारम्भिक लिखित परीक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित परिषदीय/राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों हेतु मार्गदर्शिका

1. शासनादेश सं0 1830/79–5–2013–1030/2010 दिनांक 30.05.2013 (छायाप्रति संलग्न) तथा विस्तारित प्रक्रिया अन्तर्गत विद्याज्ञान स्कूल में शैक्षिक वर्ष 2025–26 हेतु नियत प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त परिषदीय/राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (निजी विद्यालय–मान्यता/पंजीकरण संख्या का विवरण सहित) से कक्षा 3, 4 उत्तीर्ण करने के उपरान्त कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। (विद्यालय यू–डाइस नम्बर तथा विद्यार्थी का पैन नम्बर एवं एस0आर0 क्रमांक सम्बन्धी विवरण अनिवार्य है) प्रत्येक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु केवल एक ही अवसर अनुमन्य होता है। प्रथम वार आवेदन कर रहे समस्त पात्र विद्यार्थियों को यह अवसर प्राप्त होगा कि विद्याज्ञान में प्रवेश हेतु दिनांक 01 दिसम्बर, 2024 को आयोजित होने वाली प्रारम्भिक लिखित परीक्षा हेतु 10 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकेंगे।
2. यदि आवेदन–पत्र कम पड़ जाते हैं अथवा उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उपलब्ध रिक्त आवेदन–पत्र की प्रति (छात्र हेतु बालक तथा छात्राओं हेतु बालिका प्रथक–प्रथक) से फोटो स्टेट कराकर अथवा इन्टरनेट से www.vidyagyan.in/admissions से उपयुक्त आवेदन पत्र डाउनलोड कर अथवा उसकी छायाप्रति पर भी आवेदक द्वारा उपयोग में लाया जाकर आवेदन किया जा सकता है। छायाप्रति आवेदन–पत्र एवं छायाप्रति प्रवेश पत्र पर मूल नम्बर के पश्चात् विकास खण्ड का नाम अंकित कर नया क्रमांक खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा।
3. आवेदक विद्यार्थी के अभिभावक जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी निवासी हों और जिसकी पुष्टि स्थायी निवास प्रमाण पत्र से होती हो, आवेदक विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय (माता एवं पिता दोनों की आय सम्मिलित करते हुए) **दो लाख रूपये से अधिक न हो** (राजस्व विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)। राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय तथा ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र के अभाव में प्रारम्भिक लिखित परीक्षा हेतु आवेदन मान्य नहीं है।
4. कक्षा 6 हेतु आवेदक विद्यार्थी की दिनांक 31 मार्च, 2025 को आयु : बालकों हेतु आयु : न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 11 वर्ष तथा बालिकाओं हेतु न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 12 वर्ष से अधिक न हो। (बालक आवेदक जिनका जन्म 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2014 तथा बालिकाओं हेतु 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2013 के मध्य हुआ हो, ही आवेदन हेतु पात्र हैं) आवेदक विद्यार्थी का फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड नम्बर का विवरण तथा कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र सम्बन्धी समस्त विवरणों का 'डिजिटीकरण' किया जाता है।
5. नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर परिषद सीमा अन्तर्गत स्थित किसी भी प्रकार के विद्यालय के विद्यार्थी प्रारम्भिक लिखित परीक्षा तथा तदुपरान्त विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु पात्र नहीं हैं।
6. कृपया इंटरनेट से डाउनलोड/मूल आवेदन पत्र अथवा छायाप्रति आवेदन को अग्रसारित करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि आवेदन–पत्र पूर्ण एवं त्रुटिरहित है। किसी भी दशा में अपात्र विद्यार्थी का आवेदन अग्रसारित नहीं करें। आवेदन पत्र को विद्यालय की प्रेषण पंजिका में दर्ज करने के उपरान्त ही खण्ड शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करें। आवेदन–पत्र के साथ आवेदक की पहचान हेतु फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र स्थायी निवास तथा आय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न कर (प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदन पत्र की संख्या तथा दूरभाष संख्या लिखकर) खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 10 अक्टूबर 2024 तक अवश्य जमा करा दें। आवेदन की एक प्रति विद्यालय तथा एक प्रति विद्यार्थी के उपयोगार्थ सुरक्षित रख लें।
7. आवेदक विद्यार्थियों के मध्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न मॉडल उत्तर पत्रक (OMR Sheet) एवं प्रश्नावली (यह नमूना ही है और परीक्षा कक्ष में वितरित होने वाली प्रश्नावली एवं उत्तर पुस्तिका से भिन्न हो सकती है) पर अभ्यास कराने का कष्ट करें जिससे ग्रामीण क्षेत्र के अत्यन्त युवा विद्यार्थी नई परीक्षा प्रणाली से परिचित हो जायें। उत्तर प्रदेश में कक्षा 3, 4 तथा 5 के पाठ्यक्रम – भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी), गणित, अभिरूचि (Aptitude) तथा सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थी का ज्ञान एवं समझ का परीक्षण किया जाता है। प्रश्न–पत्र के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रारम्भिक परीक्षा के मूल्यांकन तथा इण्टरनेट पर प्रारम्भिक लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अभ्यर्थी की अतिरिक्त सुविधा के लिये डाक द्वारा सूचना पत्र प्रथक से प्रेषित किया जाता है। अतः ग्राम के पोस्ट ऑफिस एवं पोस्ट मैन से सम्पर्क में रहें। मुख्य परीक्षा के उपरान्त, सम्पूर्ण राज्य के न्यूनतम अंकों के सर्वोच्च अंक प्राप्त श्रेष्ठ विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन में सफल होने के उपरान्त, विद्याज्ञान प्रांगण में सूक्ष्म परीक्षा, पारस्परिक संवाद, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण तथा अकादमिक अभिलेखों के भौतिक सत्यापन में सफल होने के उपरान्त ही विद्याज्ञान स्कूल में कक्षा 6 स्तर पर प्रवेश प्राप्त होता है।
8. आवेदन पत्र अग्रसारित करने से पूर्व आवेदन पत्र पर नियत स्थान में विद्यालय का 10 अंकों के U-DISE तथा विद्यार्थी का पैन नम्बर अवश्य अंकित करें।
9. आपके विद्यालय के आवेदक विद्यार्थियों के अभिभावक तथा विद्यार्थियों को भलीभाँति यह जानकारी कराने का कष्ट करें कि खण्ड शिक्षा अधिकारी से ज्ञात कर लें कि प्रारम्भिक लिखित परीक्षा केन्द्र कहाँ है। इसके साथ ही आवेदक विद्यार्थियों को परीक्षा में भाग लेने हेतु प्रेरित करने का कष्ट करें। विद्यार्थियों को इस नवीन परीक्षा प्रणाली का अभ्यास एवं अनुभव उपलब्ध कराने के साथ–साथ आपको प्रतिभा तलाश एवं तराश कर प्रतियोगिता में सफलतापूर्वक चयन में भागीदार होने का गौरव प्राप्त होगा।

(एस0 के0 माहेश्वरी)
परियोजना निदेशक, विद्याज्ञान स्कूल

शासनादेश सं0 – 1830/79–5–2013–1030/2010 दिनांक 30.05.2013 की प्रति

प्रेषक, सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, 1. निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
2. परियोजना निदेशक, एस0एस0एन0 विद्याज्ञान ट्रस्ट, ए–5, सैक्टर–24, नोएडा, जनपद–गौतम बुद्ध नगर।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांकः 30 मई, 2013

विषयः **एस0एस0एन0 विद्याज्ञान स्कूल एवं छात्रवृत्ति योजना के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री एस0 के माहेश्वरी, परियोजना निदेशक, विद्याज्ञान स्कूल के पत्रांक – विद्याज्ञान/94/2013–14, दिनांक 21–01–2013, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश के संबंध में शासनादेश संख्या – 312/15–11–08 दिनांक 20–02–2008 एवं संशोधित शासनादेश संख्या – 545/15–11–08 दिनांक 03–04–2008 में तथा समझौता – ज्ञापन दिनांक 10–03–2008 में संशोधन एवं नये निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में पूर्व में निर्गत उपरोक्त शासनादेशों क्रमशः दिनांक 20–02–2008 एवं 03–04–2008 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिव नाडर फाउंडेशन/ट्रस्ट एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा एस0एस0एन0 विद्याज्ञान स्कूल एवं छात्रवृत्ति योजना सम्मिलित रूप से अब निम्नलिखित व्यवस्थाओं एवं शर्तों के अधीन संचालित की जायेगीः–

ट्रस्ट के दायित्व

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों (जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये तक है) के मेधावी विद्यार्थियों (न्यूनतम 1/3 बालिकाएँ) को विश्वस्तरीय उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु उच्च गुणवता के अकादमिक केन्द्र विभिन्न स्थानों पर स्थापित करेंगे। ऐसे शिक्षण केन्द्रों का समस्त वित्त पोषण, प्रबंधन तथा संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की उच्च एवं उत्कृष्ट आवासीय स्कूल शिक्षा नितान्त निःशुल्क प्रदान करेगा।

(3) चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 12 तक की उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ–2 व्यवसायिक पाठ्य की प्रवेश परीक्षा हेतु तैयारी करायी जायेगी।

(4) नगरीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों की भाँति, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उपयुक्त शैक्षिक वातावरण एवं अवसर प्रदान करेगी तथा साथ–ही–साथ उच्च शैक्षिक पथ हेतु सर्वोत्तम सुविधाएँ उपलब्ध करायेगी।

(5) शैक्षिक केन्द्रों की स्थापना हेतु क्रय की जाने वाली भूमि, भवन निर्माण, मानव संसाधन एवं संचालन पर होने वाले क्रमिक व्यय को ट्रस्ट अपने संसाधनों से वहन करेंगे। राज्य सरकार ऐसे अकादमिक केन्द्रों की स्थापना तथा संचालन में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी।

(6) विद्याज्ञान स्कूल में दो स्तरों पर लिखित परीक्षाओं के माध्यम से उपयुक्त एवं सक्षम मेधावी विद्यार्थियों का चयन ट्रस्ट सुनिश्चित करेगी। लिखित परीक्षा की प्रक्रिया निम्नवत् होगीः–

(क) चयनित जनपदों में, प्रथम चरण की लिखित परीक्षा जिला स्तर पर संचालित की जायेगी और इसे प्राथमिक परीक्षा के नाम से जाना जायेगा और ट्रस्ट के प्रतिनिधि की उपस्थिति में परीक्षा संचालित की जायेगी। प्राथमिक परीक्षा का प्रबंध जिला मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य विभागों की सहायता से सम्पन्न करायी जायेगी।

(ख) अग्रिम स्तर की परीक्षा को अंतिम परीक्षा के नाम से जाना जायेगा। अंतिम परीक्षा संबंधित विद्याज्ञान स्कूल द्वारा आयोजित की जायेगी, जिसमें प्राथमिक परीक्षा के न्यूनतम अंकों के सफल विद्यार्थियों (बालक एवं बालिकाओं) को उपयुक्त अनुपात में संबंधित विद्याज्ञान स्कूल के परीक्षा केन्द्र में अंतिम परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। इस अंतिम परीक्षा के न्यूनतम आवश्यक अंकों के परिणाम के आधार पर मेधावी विद्यार्थियों को संबंधित विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

(ग) भविष्य की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के दृष्टिगत, यदि आवश्यक हो और पात्र विद्यार्थियों के चयन हेतु, ट्रस्ट कार्यान्वयन एवं प्रवेश प्रक्रिया को संशोधित कर सकेंगे, जिससे सक्षम मेधावी विद्यार्थियों का चयन सम्भव हो सके। अग्रेतर समय–2 पर, ट्रस्ट राज्य स्तरीय एवं केन्द्र सरकार की एजेंसीज/विभागों अथवा उनकी योजनाओं/प्रक्रियाओं की पात्र विद्यार्थियों के चयन में सहायता ले सकेगी।

(घ) उपरोक्त प्रक्रियाओं के रहते हुए भी, विद्याज्ञान स्कूल में विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा।

राज्य सरकार के दायित्वः

(1) राज्य सरकार, शिक्षा प्रशासन एवं जिला प्रशासन को ऐसे समुचित निर्देश प्रसारित करेगी जिससे औपचारिक अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर प्रत्येक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों से सर्वोच्च अंक प्राप्त एक बालिका एवं एक बालक का अभिज्ञान जिला स्तर की प्राथमिक परीक्षा हेतु हो सके। संबंधित विभागों को, अभिज्ञात विद्यार्थियों को प्राथमिक लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र निर्गत करने तथा जिला मुख्यालय पर लिखित परीक्षा की व्यवस्था हेतु भवन, प्रांगण एवं परीक्षा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रसारित करेगी।

(2) समझौता–ज्ञापन के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसे निर्देश प्रसारित करेगी कि जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से अन्य स्थानीय विभागों द्वारा विद्याज्ञान स्कूल में पात्र विद्यार्थी का चयन एवं प्रवेश में ट्रस्ट को सहयोग प्राप्त हो सके और विद्याज्ञान स्कूल में निष्पक्ष प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय–2 पर प्रशासनिक सहायता एवं सहयोग हेतु निर्देश प्रसारित करेगी।

उभय पक्ष के दायित्वः

(1) उपरोक्त कार्यो को सम्पादित करने हेतु समस्त व्यय भार ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा। राज्य सरकार, जैसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है, विद्याज्ञान स्कूल में मेधावी विधार्थियों के निष्पक्ष चयन एवं प्रवेश हेतु सभी प्रकार का सहयोग एवं सहायता प्रदान करेगी।

(2) इस समझौता–ज्ञापन में वर्णित उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से इस प्रकार से कार्यवाही करेंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों (न्यूनतम 1/3 बालिकाओं) का निष्पक्ष रूप से चयन बिना किसी कठिनाई के सम्भव हो सकें।

(3) उपर्युक्त प्रस्तर–2 (6) (क) के संबंध में जनपद का चयन ट्रस्ट एवं राज्य सरकार की सहमति से किया जायेगा।

भवदीय,
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, न्याय अनुभाग–1
2. प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1
3. परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
8. उ0प्र0 सचिवालय, शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड बुक।

भवदीय,
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव